281

5. **चयन की प्रक्रिया:–** आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(i) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधासूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी :–**

(a)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (Computer Based Test) के लिए पूर्णांक	75 अंक
(b)	कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों/अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 05 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	25 अंक
	कुल:–	**100 अंक**

नोटः–(I) **अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। यथा यदि– किसी अभ्यर्थी को कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसे 50X0.75=37.5 अंक दिये जायेगें।**

(II) **परन्तु, संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तद्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरूद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश लागू होंगे।**

(ii) **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा** – आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए **Computer Based Test** के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम:–

(a) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न–पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न–पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।

(b) परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे।

(c) अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित **General Nursing and Midwifery (G.N.M.)** स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेगें। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के Website पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

(d) उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में Computer Based Test के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।

(e) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए **नकारात्मक अंकन (Negative Marking)** लागू किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 01 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु (0.25) अंक काटा जाएगा।

(f) उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की **समानीकरण (Normalization)** की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा–फल घोषित किया जाएगा।

(g) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोटः– **प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जायेगा।**

(iii) कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों/संस्थानों के निदेशक द्वारा निर्गत हो, आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगें। आवेदन में कार्यानुभव का दावा नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक एवं आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा। कार्यानुभव अवधि की गणना **25.04.2025** तिथि तक की जायेगी।